मनरेगा : सतर्कता एवं निगरानी समिति

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून और योजना से गांव के लोगों को रोजगार का कानूनी हक मिल गया है। यह योजना गांवों में सामाजिक बदलाव ला सकती है। इस कानून के बनने के बाद अब गांव के लोगों को काम के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। छोटे किसान जो खेती और मजदूरी पर गुजारा करते हैं, इस कानून से उनको काम तो मिलेगा ही, साथ ही उनके खेतों में सुधार का काम भी हो सकेगा ताकि फसलों से अधिक उत्पादन लिया जा सके। इस योजना के तहत काम की गारंटी दी गयी है और यह कानून है जिसमें बदलाव या इसे समाप्त करने के लिए देश की संसद में निर्णय लेना पड़ेगा।

किसी भी कानून या योजना का बनना तो पहला कदम है, इसे लागू करना बेहद चुनौती वाला काम है। इस योजना को लागू करने के लिए किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, यह पहले से तय है। योजना के क्रियान्वयन में किसकी गलती थी यह भी पता लगाया जा सकता है। इस योजना में लोगों की भागीदारी को खास महत्व दिया गया है। इसी दृष्टि से हर स्तर पर समितियों के गठन किये जाने का प्रावधान योजना के तहत किया गया है।

इस योजना में गांव स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की देखरेख करने के लिए ग्रामसभा सबसे अहम इकाई है। ग्रामसभा में गांव के सभी वयस्क लोग सदस्य होते हैं अत: सभी लोगों का रोजमर्रा की गतिविधियों में सहभागिता संभव नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए गांव स्तर पर मनरेगा के कामों की देखरेख के लिए सतर्कता एवं निगरानी समिति का गठन किया जाता है।

गरीबी और असमानता से सम्बंधित सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के तहत बनी सतर्कता एवं निगरानी समिति की अहम भूमिका है। यह समिति सुनिश्चित कर सकती है कि सबको रोजगार मिले, सही योजना बने, सही समय पर मजदूरों को सही मजदूरी मिले, कार्यस्थल पर बच्चों के झूलाघर हो, पीने का पानी और छाँव की व्यवस्था हो और सभी काम ईमानदारी से पूरे हों।

समिति का गठन

मनरेगा के तहत गठित सतर्कता एवं निगरानी समिति का गठन ग्राम पंचायत के स्तर पर किया जाता है। इस समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं को खास रूप से शामिल किया जाता है। सतर्कता और निगरानी समिति में सदस्यों में स्थानीय स्कूल के शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्व सहायता समूह के सदस्यों, सामाजिक संपरीक्षा के कार्यकर्ता, समुदाय आधारित संगठनों, युवा समूहों के सदस्यों आदि को शामिल किया जा सकता है।

- इस समिति में सदस्यों की संख्या आदर्श रूप से 10 होगी।
- सतर्कता एवं निगरानी समिति ग्रामसभा के प्रति जवाबदेह है।

सतर्कता एवं निगरानी समिति को ग्रामसभा द्वारा 6 माह की अवधि के लिए चुना जाता है किंतु इसकी अवधि को एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।

समिति के काम

- जाब कार्ड मजदूरों के पास है या पंचायत के सरपंच या सचिव के पास है यह भी समिति देखती है।
- कार्यस्थलों का दौरा करना तथा कामगारों से संपर्क करना
- दस्तावेजों एवं कार्यस्थल की सुविधाओं का सत्यापन करना
- निगरानी समिति मजदूरी के भुगतान के समय अपने सदस्यों को भुगतान स्थल पर भेज सकती है।
- काम में कितने मजदूर काम कर रहे हैं, क्या काम चल रहा है, समिति कार्यस्थल पर देखती है।
- सामग्रियों की गुणवत्ता तथा लागत का मूल्यांकन करना
- यह देखना कि मजदूरों को समय पर सही मजदूरी का भुगतान हो रहा है।
- कार्य की समाप्ति पर कार्य के संतोषजनक समापन संबंधी रिपोर्ट उपलब्ध कराना जिसमें कार्य के स्वरूप का गुणात्मक मूल्यांकन तथा इसकी उपयोगिता का उल्लेख हो।

समिति की बैठक

समिति गांव के विकास के लिए बेहतरी से काम करे इसके लिए जरूरी है कि समिति की बैठकें नियमित हों। यदि समिति आवश्यक समझे तो विशेष बैठक किसी भी नियत समय पर बुलाई जा सकती है। ये बैठकें जितनी असरदार और व्यवस्थित होंगी, समिति का काम उतना ही अच्छा होगा।

समिति की बैठक के लिए निम्न बातें आवश्यक हैं –

- **समिति की बैठक की तारीख, समय एवं स्थान की सूचना तथा एजेंडा अध्यक्ष के परामर्श से समिति सचिव द्वारा सदस्यों को भेजा जायेगा।**
- **समिति के कुल सदस्यों में से आधे सदस्यों को बैठक में उपस्थित रहना जरूरी है। यदि बैठक में कोरम पूरा नहीं होता है तो बैठक स्थगित की जायेगी। इस प्रकार स्थगित बैठक के बाद पुनः एक घंटे बाद बैठक बुलाने पर कोरम की जरूरत नहीं होगी।**
- **बैठक की व्यवस्था ऐसी हो कि समानता का भाव दिखे। बैठक की प्रक्रिया इस तरह से हो कि सबका जुड़ाव बना रहे।**
- **सबसे पहले अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा का क्रम निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके बाद पिछली बैठक में हुए निर्णयों एवं उस पर हुई कार्रवाई को पढ़कर सुनाया जाए।**
- **इसके बाद क्रमानुसार हर मुद्दे पर चर्चा की जाये एवं सबकी सहमति से निर्णय लिये जाएं, साथ ही निर्णयों पर अमल के लिए जिम्मेदारी, सहयोग एवं समय भी निर्धारित कर लिया जाना चाहिए।**
- **बैठक में सभी सदस्यों को बोलने का बराबर मौका मिलना चाहिए। अध्यक्ष सभी सदस्यों को बोलने के लिए प्रेरित करें एवं निर्णयों में उनकी राय लें।**

बैठक में हुई चर्चाओं एवं निर्णयों को सचिव द्वारा लिखा जाना चाहिए एवं बैठक के अंत में सभी सदस्यों को आज हुए निर्णयों को पढ़कर सुनाया जाना चाहिए। अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद के बाद बैठक की समाप्ति की घोषणा की जाना चाहिए। बैठक में उपस्थित सदस्यों से उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराया जाना चाहिए।

सतर्कता एवं निगरानी समिति को कैसे प्रभावी बनायें?

सतर्कता एवं निगरानी समिति गांव में मनरेगा के तहत योजना के क्रियान्वयन एवं उसे लागू करने के लिए महत्वपूर्ण समिति है। गांव के हर जरूरतमंद व्यक्ति को मनरेगा के तहत काम एवं मजदूरी के समय से भुगतान को बेहतर बनाने के लिए इस समिति का मजबूत व प्रभावी होना जरूरी है। यह देखना जरूरी होगा कि समिति के सदस्यों में समिति के कामकाज को लेकर कितनी रूचि है एवं वे कितने सजग हैं।

- सभी सदस्यों को मनरेगा की महत्ता एवं उनके योगदान के बारे में चर्चा करके बैठकों में उपस्थित होने के लिए प्रेरित करें।
- यदि कुछ सदस्य समिति के प्रति रुचि नहीं रखते तो समिति के पुनर्गठन के लिए ग्रामसभा में प्रस्ताव रखा जा सकता है और गांव के विकास में रुचि रखने वाले अन्य सदस्यों को नियमानुसार शामिल किया जा सकता है। ध्यान रहे सतर्कता एवं निगरानी समिति ग्रामसभा के प्रति जवाबदेह है और किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए ग्रामसभा में ही चर्चा की जायेगी।
- गांव के सक्रिय व्यक्ति जो गांव के प्रति सकारात्मक पहल एवं रूचि रखते हैं, उन्हें सभापति की सहमति से सदस्य न होते हुए भी बैठक में शामिल करें।
- गांव या क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं के सदस्यों को भी सहयोग एवं सुझाव के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।
- सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक में गांव में मनरेगा की बेहतरी के बारे में चर्चा को केन्द्रित करें। गांव की स्थिति का विश्लेषण करें एवं स्थिति विश्लेषण से निकले बिंदुओं के आधार पर मनरेगा में हुए कामों पर चर्चा की जाये।
- काम के लिए बनी योजना को ग्रामसभा के समक्ष स्वीकृति के लिए रखा जाये। समिति द्वारा बनायी गयी निगरानी व्यवस्था को स्वीकृति के लिए पैरवी भी करें। इस तरह यदि समिति लोगों के साथ मिलकर काम करती है तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी एवं समिति सशक्त होगी।
- मनरेगा के तहत काम की स्थितियों एवं भुगतान व्यवस्था को अधिक सुगम बनाने के लिए यह जरूरी है कि सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति के अलावा गांव के अन्य लोगों का भी सहयोग मिले।
- गांव स्तर पर सेवानिवृत्त कर्मचारी, युवा व अन्य लोग ऐसे हो सकते हैं जो समिति को मनरेगा में आ रही दिक्कतों को हल करने में सहयोगी की भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे लोगों को समिति से जोड़ना होगा एवं ग्रामसभा में ये लोग मुख्य भूमिका निभा सकते हैं।

VIKAS SAMVAD

विकास संवाद, ई-7/226, प्रथम तल, धनवंतरी काम्प्लेक्स के सामने, अरेरा कालोनी, शाहपुरा, भोपाल. मध्यप्रदेश. भारत
फोन – 0755-4252789 / vikassamvad@gmail.com

इस अध्ययन सामग्री को संक्षिप्त एवं सरल रूप में प्रस्तुत किया गया है अधिक स्पष्टता या जानकारी हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम-2005 की मूल प्रति एवं विभागीय निर्देश देखें।